

प्रस्तावित से संबंधित परिशिष्ट

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश

परिशिष्ट 1137 [26/7/2017]



क्रमांक
प्रति

11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012

परिशिष्ट तैयार

ग्यालियर दिनांक

प्रश्न सं. 1 क्र. 2307



अधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्टर जिला
(म.प्र.)

विषय- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए 0969 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने कायत ।
संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टरों को सम्बोधित इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012 ग्यालियर दिनांक 16.4.20

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयान्तर्गत लेख है कि का आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्यालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2011 आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित कि सकता है ।

- अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जावे :-
- (अ) मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी.या अधिक होनी चाहिये ।
 - (ब) पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए 3क या आवादी 200 या अधिक होनी चाहिये ।
 - (स) पृथक बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से ि चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन् स्थित न रहे ।

अतः उपरोक्त अ.व.स के मापदण्डों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को दृष्टिगत रख जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सृजित किये जा रहे, राजस्व ग्रामों के आभावों की प्रति, के साथ सूचित-पूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 व 20 दिवस के प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें ।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामवा-
मानचित्र, सुस्पष्ट हों, इस लक्ष्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने कायत आदेशित किया जाता है ।

सही
संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दो
मध्य प्रदेश